



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 मेल- [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

No- CHG/DRG/LST-26/RPR

दिनांक -29/03/2022

प्रेषिति- श्री सुशील कुमार वाली नोमीनटेड ओनर  
 | oUh जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,  
 पोस्ट – अहिरवारा, तहसील – धमधा,  
 जिला.दुर्ग छत्तीसगढ़ – 490036

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले मे स्थित आपकी सेमरिया चूना पत्थर खदान 267.694 हे. मे खनिज संरक्षण एवं  
 विकास नियमावली 2017 के नियमो के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 11.03.2022 by undersigned accompanied by Shri B.L.Bhati (Mines Manager) & Shri V.K.Singh(Geologist).

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. दुर्ग / चूप /खयो/1156/2016-रायपुर dated 17.07.2018 and following deviation was observed during inspection 1. The development is very less w.r.t the proposal given. The OB generation was proposed 114880 cum in 2020-21 whereas the achievement is very less and only 20286 cum which less than 20% of the proposal. 2. The proposal for production and development is given in two block i.e. Block I & Block II whereas the production and development is negligible in Block II.
37(2)	The dumps shall be properly secured to prevent escape of material there from in harmful quantities which may cause degradation of environment and to prevent causation of floods. It was observed that there is no proper terracing and the OB/waste dump & mineral stocks dump near to haul roads & lease but still no proper retaining wall and garland drain constructed nor any control measures taken for dump stability.
45(5)(c)(i)	While scrutiny of annual return submitted for 2020-21 it was mentioned that 4.10 ha. Area claimed under reclaimed/rehabilitation but no such area observed.

2 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमो का उलंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उलंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत

(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उलंघनो का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

उप खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

उप खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर